रजि. नं. 144/जयपुर/2008-09

मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)

राई का बाग, परबतसर रोड, रुपनगढ, अजमेर-305814

E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

www.svmmcollege.in

Unit Wise

Notes

प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय
रूपनगढ (अजमेर) राज.

रजि. न. 144/जयपुर/2008-09

मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रुपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)

राई का बाग, परबतसर रोड, रुपनगढ, अजमेर-305814

E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

L-11 23/2/21

संसदीय शासन

↳ सामान्य विधि का निर्माण

- सामान्य बहुमत
  - → सदस्य संख्या 543/245
  - → प्रभावी संख्या - सदस्य संख्या - रिक्त
  - → उपस्थित संख्या 54/25 — कोरम पूर्ति के लिए आवश्यक संख्या
  - ↓ उपस्थित संख्या का आधे से एक ज्यादा
- विधायी शक्ति (Art 246)
- संयुक्त बैठक (Joint Session)
- राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर /वीटो

↳ संसद की संविधायी शक्ति

- संविधान में संशोधन
  - → जोड़ना
  - → परिवर्तित (शब्दों में बदलाव)
  - → हटाना
- Art - 368
- संसद में विशेष बहुमत → सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित व मत देने वालो का 2/3
- Joint Session नहीं
- राष्ट्रपति वीटो नहीं

रजि. न. 144/जयपुर/2008-09

मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)

राई का बाग, परबतसर रोड, रूपनगढ, अजमेर-305814

E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

संसद के कार्य

नेहरू युग
→ संसद
- कल्याणकारी कार्य
- सामाजिक न्याय
- DPSP

→ S. Court
- मूल अधिकारों की रक्षा
- संविधान का संरक्षण

↳ मद्रास सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज में आरक्षण (Art 46)
↓
चम्पकम दोराई राजन केस
F.R. — 15(1), 29(2)

↳ सम्पत्ति का अधिकार → 19(1)f सम्पत्ति क्रय-विक्रय
→ 31(2) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही संपत्ति से वंचित (→ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए → मुआवजा देना पड़ेगा)
- भूमि सुधार
- राज्य सूची
- DPSP 39(b) 39(c)

L-12 24/2/21

इन्दिरा युग
→ संसदीय सर्वोच्चता
→ S. Court

1st C. Amendment →
↳ Add F.R. 15(4)
सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, ST व SC के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान/उपाय)
↳ Art 31(A) Art 31(B)

↳ Art 13(2) — कोई 'विधि'
मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त करने का प्रयास किया जाये, उसे असंवैधानिक घोषित किया जायेगा।

शंकरी प्रसाद

① 13(2) 'विधि' में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है।

② सामान्य विधि व संशोधन विधि अलग-2

③ सामान्य विधि द्वारा F.R. को नहीं छीन सकते परन्तु संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में बदलाव संभव है।

रजि. नं. 144/जयपुर/2008-09

मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)

राई का बाग, परबतसर रोड, रूपनगढ, अजमेर-305814

E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

गोलकनाथवाद 1967

- 17वाँ C.A. को Challenge
- सामान्य विधि व संशोधन विधि अलग - अलग नहीं
- संशोधन विधि से भी मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते या समाप्त किये नहीं जा सकते।
- Art 368 पर प्रतिबंध है।
- Art 368 में C.A. की प्रक्रिया मात्र है, C.A. की शक्ति नहीं है।

गोलकनाथवाद के निर्णय में बदलाव हेतु

- 24वाँ C.A. — ① Art 368 में प्रक्रिया व शक्ति दोनों ② सामान्य विधि व संशोधन विधि अलग-2
- 25वाँ C.A. — ① Art 39(b)(c) को लागू करने के लिए F.R. (14, 19, 31) का उल्लंघन हो ② न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, ~~26वाँ C.A.~~ — ③ मुआवजा शब्द हटा दिया गया / राशि शब्द कर दिया।
- 26वाँ C.A. — प्रिवीपर्स खत्म

केशवानन्द भारतीवाद 24 अप्रैल 1973

- 13(2) में विधि में संवि. संशो. विधि शामिल नहीं है।
- सामान्य विधि व संशोधन विधि अलग-2
- Art 368 से मूल अधिकार समाप्त किये जा सकते हैं।
- Art 368 में C.A. की प्रक्रिया व शक्ति दोनों।

आधारभूत ढाँचा

क्या — परिभाषित नहीं

① सिद्धान्त, आदर्श, दर्शन, आत्मा

② संसदीय व्यवस्था, संघात्मक, पंथनिरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्रता, विधि का शासन, लोकतांत्रिक प्रणाली, मूल अधिकार व DPSP के बीच सन्तुलन, गणतांत्रिक,

न्यायपालिका

- संसद की संशोधन शक्ति सीमित
- संशोधन व पूर्ण परिवर्तन पृथक नहीं है।
- संशोधन शक्ति है, परन्तु यह मनमानी एवं स्वेच्छाचारी नहीं

संसद

- शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन (आधारभूत ढाँचे के नाम)
- न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास
- गैर निर्वाचित लोगों की तानाशाही — अलोकप्रिय

पंजी. नं. 144/जयपुर/2008-09 मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)

राई का बाग, परबतसर रोड, रूपनगढ, अजमेर-305814

E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

L-17 3rd March 2021

लोक लेखा समिति

(22) सदस्य 15 + 7 (L.S. R.S.) 1 year

CAG रिपोर्ट → President, Governer

President → संसद → लोक लेखा समिति → कार्य →

- धन का व्यय वैधानिक
- धन का उचित रूप में व्यय
- धन के अपव्यय पर रोक

CAG

- → संसद का मित्र
- → संसद का मार्गदर्शक
- → कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण

प्राक्कलन (Estimate) समिति

30 सदस्य — only L.S. के Member 1 year

- प्रशासनिक तंत्र में सुधार।
- संगठन में सुधार।
- आकलन को कुशल बनाया जाये।

सार्वजनिक उद्यम सम्बन्धी समिति (PSUC)

(22) सदस्य 15 + 7 (L.S. R.S.) 1 year

रजि. नं. 144/जयपुर/2008-09
मोबाइल : 9314618091
स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ
(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)
राई का बाग, परबतसर रोड, रूपनगढ, अजमेर-305814
E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

L-18 4th March 2021

ग्रेनविल ऑस्टिन – "न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए पर सर्वोच्च नहीं।" ऐसा मानना था संविधान सभा का

न्यायपालिका

स्वतंत्र न्यायपालिका

- विधि के शासन की स्थापना
- संविधान की रक्षक
- मूल अधिकारों की रक्षक
- संघीय व्यवस्था में विवाद निपटान संस्था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे?

- ↳ नियुक्ति में न्यायाधीशों से परामर्श
- ↳ न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में टिप्पणी नहीं।
- ↳ संसद के विशेष बहुमत से न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना
- ↳ वेतन / भत्ते संचित निधि पर आश्रित।

सर्वोच्च नहीं

- न्यायालय के कार्यों पर भी प्रतिबन्ध
- नदी – जल विवाद
- परिसीमन
- संविधान के लागू होने के पूर्व

10:16

L-19 5th March 2021

उच्चतम न्यायालय की भूमिका

IPC – भारतीय दण्ड संहिता
CrPC – दण्ड प्रक्रिया

① मूल अधिकारों के संरक्षक (Art 32)

- हेबियस कार्पस – बन्दी प्रत्यक्षीकरण
- मैंडेमस – परमादेश
- Prohibition – प्रतिषेध
- Certiorari – उत्प्रेषण
- Quo-warranto – अधिकार-पृच्छा

1950 - गोपालनवाद → • Art 21 का जीवन का अधिकार एवं Art 19 के स्वतंत्रता का अधिकार दोनों एक दूसरे से पृथक – 2 है।
निवारक नज़रबन्दी अधिनियम - 1950

Art - 19 } का उल्लंघन
Art - 21 }

9:21

• शारीरिक अंगों पर हमले का अभाव – जीवन का अधिकार

9:47

रजि. नं. 144/जयपुर/2008-09
मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)
राई का बाग, परबतसर रोड, रूपनगढ, अजमेर-305814
E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

L-23rd

9th March 2021

परम्परागत न्यायालय

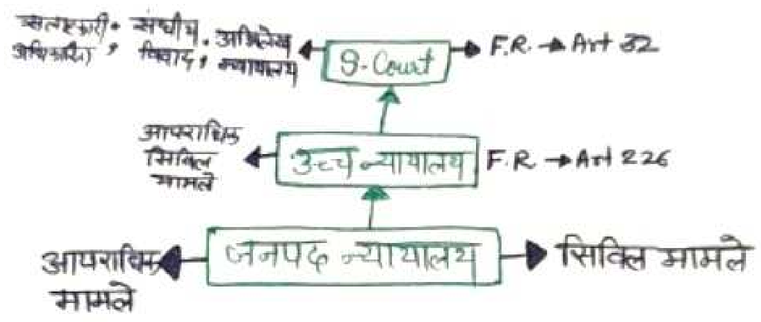

अपीलीय क्षेत्राधिकार (S.C.)

सिविल मामले में अपील

↓

H.C. प्रमाण पत्र देगा।

(विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित)

आपराधिक मामलो में अपील

- **बिना प्रमाण पत्र के अपील**
  - H.C. द्वारा मृत्युदंड की सजा दी हो। जबकि जनपद न्यायालय ने उसे निर्दोष माना हो।
  - H.C. ने जनपद न्यायालय से सुनवाई के लिए मामला अपने पास मंगाया हो और उसमें व्यक्ति को मृत्युदंड/आजीवन कारावास की सजा दी हो।
- **प्रमाण के साथ अपील**
  - H.C. किसी मामले के लिए कह दे कि यह अपील योग्य है।

10:4 V Imp ✓

विशेष इजाजत से अपील
(Special Leave petition) SLP
Art - 136

पंजि. नं. 144/जयपुर/2008-09

मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)

राई का बाग, परबतसर रोड, रुपनगढ, अजमेर-305814

E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

L-25th 16/3/21

न्यायाधीशों को पदमुक्त

आधार —
- कदाचार
- असमर्थता

↳ संसद का विशेष बहुमत — सदन की कुल संख्या का बहुमत + उपस्थित संख्या का 2/3 बहुमत

↳ न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) Juges Enquiry Act

प्रक्रिया

* किसी भी सदन मे प्रस्ताव लाया जा सकता है।
* L.S. में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर
* R.S. मे 50 सदस्यो के हस्ताक्षर
* पीठासीन अधिकारी (स्पीकर/सभापति) स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है।
* ↳ एक समिति का गठन करेंगे।
  - S.C. का न्यायाधीश
  - H.C. का C.J.
  - विधि विशेषज्ञ
* समिति जाँच करेगी।
* L.S. व R.S. मे चर्चा/मतदान।
* Judges को अपना पक्ष रखने का अवसर।
* प्रस्ताव पारित होने पर President हटा देना।

न्यायालय की अवमानना

↳ Judges के आचरण पर सदन में टिप्पणी नहीं

↳ वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायिक अवमानना का प्रतिबंध

Contempt of Court Act 1971

- Civil Contempt — निर्णय, आदेश की अवहेलना
- Criminal Contempt — किसी शब्द, लेख द्वारा न्यायापालिका की गरिमा को कम कर देना। न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना। न्यायालय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करना।

मंत्रिपरिषद
↓
मंत्रियों का समूह
↓
PM का नेतृत्व

मंत्रियों का समूह —
→ कैबिनेट मंत्री (अधिकारिक)
→ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
→ राज्यमंत्री

कैबिनेट मंत्री — मंत्रिमण्डल की बैठकों में स्वाभाविक रूप से भाग लेना
↓
बड़े मंत्रालय
→ गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय

मंत्रिमण्डल की समितियाँ
① सुरक्षा मामले समिति
② राजनीतिक
③ नियुक्ति
④ आर्थिक मामलों

गृह मंत्रालय
→ भाषा, J&K, आन्तरिक सुरक्षा, राज्य

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) — कैबिनेट के अधीन
↓
छोटे मंत्रालय
→ संस्कृति मंत्रालय, कम्प्यूटर मंत्रालय, खेल मंत्रालय

किसी department विशेष का मंत्री — राज्य मंत्री (कैबिनेट मंत्री के अधीन)

उपमंत्री — कोई विभाग प्राप्त नही
केवल कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए

L-27th 18/3/21 **President (राष्ट्रपति)**

निर्वाचक मण्डल → L.S. के निर्वाचित सदस्य
R.S. के निर्वाचित सदस्य
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

निर्वाचन पद्धति - आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति

मत मूल्य क्यों ?
↳ विधायकों के मतो के बीच आनुपातिक समानता
विधायक का मत मूल्य का formula —:
↳ $\dfrac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या (1971)}}{\text{कुल निर्वाचित विधायकों सदस्यों की संख्या}} \times \dfrac{1}{1000}$

सांसद का मत मूल्य
$\dfrac{\text{सभी विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य का योग}}{\text{निर्वाचित सांसदों की संख्या}}$

Quota

$$\frac{\text{कुल वैध मत मूल्य}}{\text{निर्वाचित स्थानों की संख्या} + 1} + 1$$

President's Works

↳ विभिन्न नियुक्तियाँ, प्रसादपर्यन्त तक कार्य करते हैं।
- मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी

↳ नियुक्त But S.C. की अनुशंसा पर हटा सकते हैं
- UPSC के अध्यक्ष / सदस्य,
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष
- NGT का अध्यक्ष
- CAT का अध्यक्ष

↳ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त But संसद के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है।
- Judges, CAG, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

विधायी शक्ति

सत्र सम्बन्धी
↳ सत्र आहूत
↳ सत्रावसान
↳ L.S. का विघटन
↳ दोनों सदनों की सम्बद्ध बैठक को सम्बोधित (नवनिर्वाचित सदस्यों के समक्ष)
↳ मनोनयन

विधेयक सम्बन्धी पूर्वानुमति
1. धन विधेयक
2. राज्य के नाम, भूभाग में परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक
3. राज्यों का वित्तीय हित
4. अन्तर्राज्यीय व्यापार को सीमित करने सम्बन्धी

↳ अध्यादेश जारी करना / Art 123

↳ विधेयकों पर हस्ताक्षर (Veto)

रिपोर्ट
1. CAG की रिपोर्ट संसद में रखना
2. SC, ST व OBC आयोगों की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखना

रजि. नं. 144/जयपुर/2008-09

मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)

राई का बाग, परबतसर रोड, रूपनगढ, अजमेर-305814

E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

L-29th

20th March 2021

पंचायती राज

सामुदायिक विकास कार्यक्रम - 1952

↓

बलवंत राय मेहता समिति - 1957 - त्रि-स्तरीय

↓

2 oct 1959 — Nagaur — पंचायती राज start

↓

Ashok Mehta Committee - दो स्तरीय

↓

GVK Rao Committee - 1985

↓

L.M. Singhvi Committee

↓

P.K. थुंगन Committee

संघात्मक शासन (शक्तियों की साझेदारी)

- संघ → सांसद
- राज्य → विधायक
- ग्राम पंचायत (आधारभूत स्तर/स्थानीय स्वशासन) → 29 विषयों पर प्रशासन का अधिकार न कि विधि-निर्माण

243(G) - राज्य विधानसभायें तय करेंगी की राज्य के कौन-से विषयों का प्रशासन करेगी।

रजि. नं. 144/जयपुर/2008-09
मोबाइल : 9314618091
स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ
(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)
राई का बाग, परबतसर रोड, रूपनगढ, अजमेर-305814
E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

पंचायतें (शक्ति का विकेन्द्रीकरण) - सहभागी लोकतंत्र का आधार

↳ राजनीतिक विकेन्द्रीकरण :- आम जनता को शासन में ज्यादा सहभागिता · (प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आधारभूत लोकतंत्र, गाँव में संसद)

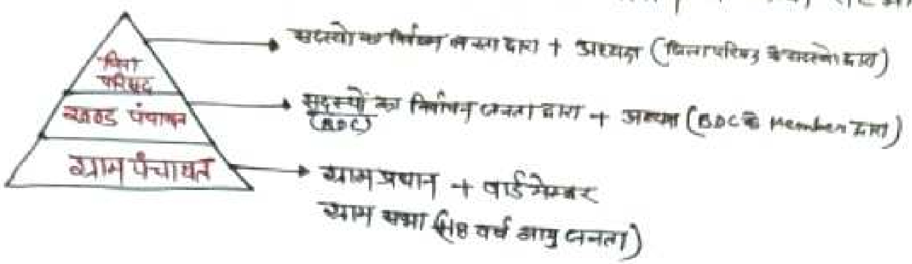

L-30th 22/3/21

↳ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण -:

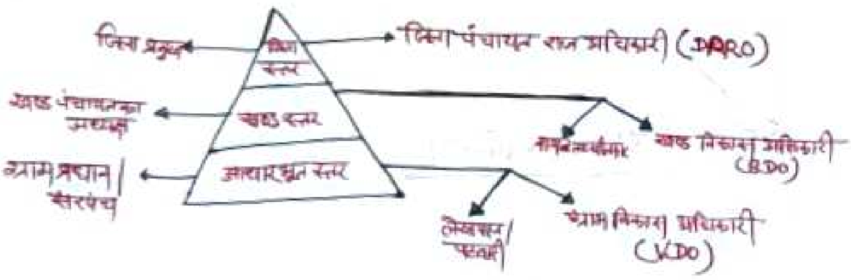

Good Governance के लक्षण
↳ विकेन्द्रीकरण
↳ उत्तरदायी शासन
↳ सहभागी शासन
↳ पारदर्शिता

↳ वित्तीय विकेन्द्रीकरण

राज्य वित्त आयोग 243(H)

↳ पंचायतों के वित्तीय स्रोत (परम्परागत)

* राज्यों एवं पंचायतों के बीच करों का विभाजन
* राज्यों से अनुदान
* केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
* पंचायतों के स्वयं के संसाधन

MPLAD - सांसद को 5 करोड़ का

↳ व्यवहारिक स्रोत (नवीन)

उदारीकरण - निजीकरण का दौर

NGO, व्यापारिक घराने, CSR

रजि. न. 144/जयपुर/2008-09
मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)
राई का बाग, परबतसर रोड, रूपनगढ, अजमेर-305814
E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

L-34th 26/3/24

क्षेत्रीय दल

16वीं Lok Sabha
17वीं Lok Sabha } में क्षेत्रीय दलों का भविष्य

↳ विभिन्न चुनौतियाँ
↳ BJP का Rise (एक दलीय प्रभुत्व)
↳ क्षेत्रीय दलों में नेतृत्व का संकट - जैसे SP में
└ समाजवादी पार्टी
↳ राष्ट्रवाद - वैचारिक संकट
↳ विकास की राजनीति

प्रासंगिक क्यों ?

① NDA आज भी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है।
- JDU
- AIADMK
- LJP
- BJD

② South India में Regional Parties का वर्चस्व है।

TRS - तेलंगाना, YSR कांग्रेस - आंध्रप्रदेश
DMK/AIADMK - तमिलनाडु

③ रशीदुद्दीन खान - भारत में विविधता, बहुलता व क्षेत्रीय आकांक्षाएं है इसलिए क्षेत्रीय दल प्रासंगिक है।

④ प्रताप भानु मेहता -

दलीय प्रणाली
- दो दल (हिमाचल प्रदेश, M.P. BJP Vs Congress Rajasthan, उत्तराखंड)
- दो दल Regional Party (तमिलनाडु - DMK, AIADMK)
- त्रिकोणीय - U.P. (SP, BSP, BJP, Congress) बिहार, महाराष्ट्र

क्षेत्रीय दलों का प्रभाव

संसदीय शासन में
① पक्ष/विपक्ष के बीच अन्तर समाप्त
② सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का ह्रास
③ अस्थायित्व
④ सत्ता के दो केन्द्र

संघात्मक व्यवस्था में
① राज्यों को सुदृढ
② संघीय प्रावधानों के दुरुपयोग पर रोक
③ Art 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई
④ राजनीतिक तौर पर शक्ति विभाजन

रजि. नं. 144/जयपुर/2008-09 मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रुपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)

राई का बाग, परबतसर रोड, रुपनगढ, अजमेर-305814

E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

National Party की मान्यता प्राप्ति के प्रावधान By EC

① 6% Votes for 4 or more states in L.S/V.S

+

4 Seat L.S. में वो भी Any state or states

or

② 2% seats of L.S. from 3 different state

or

③ दल को कम से कम 4 राज्यो में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो।

State Party की मान्यता प्राप्ति के प्रावधान By EC

① 6% Valid Votes + 2 seats — राज्य की V.S. आम चुनाव मे

or

② 6% Valid Votes + 1 Seat — L.S. चुनाव मे (सम्बन्धित राज्य मे)

or

③ 3% seats or 3 seats जो भी ज्यादा हो — V.S. चुनाव मे

रजि. नं. 144/जयपुर/2008-09
मोबाइल : 9314618091
स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ
(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)
राई का बाग, परबतसर रोड, रूपनगढ, अजमेर-305814
E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

L-38th 7/4/21

निर्वाचन आयोग

संरचना -: मुख्य निर्वाचन आयुक्त + 2 अन्य आयुक्त

↳ ~~प्रत्येक~~ राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी
↳ जिला निर्वाचन अधिकारी

कार्यकाल -: 65 वर्ष आयु तक / 6 वर्ष

पदमुक्ति -: ① मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) — संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे फिर President द्वारा हटा दिया जायेगा।

② अन्य आयुक्त — President द्वारा - CEC से परामर्श करके।

वेतन/भत्ते -: संचित निधि पर भारित नहीं

कार्य -:

संविधान में उल्लेखित

↳ President & V.President का निर्वाचन
↳ ~~MP~~ L.S. व R.S. के Members का निर्वाचन
↳ विधानसभा व विधानपरिषद का निर्वाचन

संविधान से बाहर (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950)

↳ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने में परिसीमन आयोग को सहायता प्रदान।
↳ चुनाव तिथियों की घोषणा
चुनाव सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने का अधिकार — सरकार का

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951

↳ चुनाव चिह्न का आवंटन
↳ राष्ट्रीय दल को मान्यता देना
↳ राज्य दल को मान्यता देना
↳ दलों का पंजीकरण करना।
↳ मतदान, चुनाव परिणाम की घोषणा।

पंजी. नं. 144/जयपुर/2008-09

मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, रूपनगढ

(संचालित मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर)

राई का बाग, परबतसर रोड, रुपनगढ, अजमेर-305814

E-Mail Id: - svmmcollege.roopangarh@gmail.com

मूल अधिकार	मानव अधिकार
↳ नागरिक	↳ नागरिक / विदेशी
↳ संविधान	↳ नैतिक अधिकार
↳ संविधान व राष्ट्र के अनुसार परिवर्तित	↳ सार्वभौमिक
↳ संकीर्ण	↳ विस्तृत

NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

अध्यक्ष — ① Judge of Supreme Court (2019 से)

पहले — S.C. का Chief Justice + 2 अन्य Judge

② तीन सदस्य नियुक्ति जिनमें से एक महिला (2019 से)

पहले — 2 सदस्य थे।

1 + 2 + 3

- Chairperson अध्यक्ष (3 years / 70 वर्ष)
- ① S.C. का Judge रह चुका हो
  ② किसी H.C. का C.J. रह चुका हो
- मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले लोग जिनमें से एक महिला होगी।

पदेन सदस्य

① अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष

② SC आयोग का अध्यक्ष

③ ST आयोग का अध्यक्ष

④ महिला आयोग का अध्यक्ष

2019 से इनको Add किया:

⑤ पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष

⑥ बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष

⑦ दिव्यांग आयुक्त

2019 — से एक महासचिव की नियुक्ति NHRC में प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों के लिए

Committee for Appointment

- Chairperson → PM
- Members
  - L.S. का Speaker
  - Home Minister
  - विपक्षी दल का नेता (L.S.)
  - विपक्षी दल का नेता (R.S.)
  - R.S. का उपसभापति